

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

सुमेर सिंह पुत्र नाहरमल उर्फ नाहरराम  
वगैरह जाति मेघवाल निवासीगण नवलडी  
तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)

-बनाम-

रमेश नारनालिया पुत्र गोपीराम वगैरह जाति  
मेघवाल निवासीगण नवलडी तहसील  
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू(राज.)

किस्म मुकदमा -प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु.नं. 11/2/2024

08/11/2024

यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की ओर से वकील मीनाक्षि सिंह ने पेश  
कर निवेदन किया है। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया  
गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर  
प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 18.12.2024 को  
पेश हो।

  
(जयसिंह)


उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़

18/12/24

वकील के फ्रेड्ड डाय गूल वाड  
क इठ प्रो पत्र के "Not Press"  
कर दिया है लिखत प्रो पत्र  
रखाति ठिफ जग्य है पत्रवादी  
किराल सुमा है ठकर से ठग  
है ठग तकमील जग्य दाखिल  
फाव है)

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Note  
Press

  
10/12/2024